न्यायालय – न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, केकड़ी, जिला–अजमेर

पीठासीन अधिकारी	–	**मोहम्मद शारिक, आर.जे.एस.**
फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या	–	482/2017
सी.आई.एस. नंबर	–	482/2017
सीएनआर नंबर	–	RJAJ140013432017

राजस्थान राज्य

.....अभियोजन

ब ना म

1. सुमित साहू पुत्र धनराज, निवासी सापण्दा रोड़, केकड़ी, पुलिस थाना केकड़ी, जिला अजमेर।
2. सूरज तिवाड़ी पुत्र ओमप्रकाश, उम्र 21 साल, निवासी चौकड़ीवाल की गली, मूनलाईट स्टूडियो के पास केकड़ी, पुलिस थाना केकड़ी, जिला अजमेर

––अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 323, 354, 354घ, 506, 509 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित–

1. अभियोजन अधिकारी वास्ते राज्य।
2. श्री नंदकिशोर वर्मा, अधिवक्ता अभियुक्तगण पक्ष।

एफआईआर की दिनांक	30.06.2016
प्रसंज्ञान लिये जाने की दिनांक	11.05.2017
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	11.05.2017
साक्ष्य प्रारम्भ की दिनांक	06.01.2018
बयान मुलजिम की दिनांक	14.08.2026
निर्णय दिनांक	18.08.2026
दोषसिद्धि की दिनांक	18.08.2026

निर्णय

दिनांकः–18.08.2026

1. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 30.06.2016 को परिवादिया सुनीता पारीक ने एक रिपोर्ट थानाधिकारी केकड़ी के समक्ष इस आशय की पेश की कि वह और उसकी मम्मी सब्जी खरीदने हेतु सब्जी मंडी जा रही थी,

authenticated document

तभी पटेल आदर्श विद्या निकेतन के पास पीछे से मोटरसाईकिल लेकर तीन जने जिसमें सुमित साहू मोटरसाईकिल चला रहा था व दो अन्य साथी पीछे बैठे हुए थे। तीनों ने उनके सामने मोटरसाईकिल रोककर उसकी मम्मी के साथ छेड़छाड़ व गाली गलौच करने लगे तथा विरोध करने पर और ज्यादा अपशब्द बोलने लगी और गाली गलौच करने लगे और धमकी देने लगे कि तुम हमारी शिकायत किसी से करोगे तो अच्छा नहीं होगा और तुम्हारा जीना हराम कर देंगे...............आदि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना केकड़ी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 416/16 अंतर्गत धारा 354, 509 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया एवं बाद अनुसंधान पुलिस थाना केकड़ी द्वारा अभियुक्तगण सुमित साहू व सूरज तिवाड़ी के विरुद्ध धारा 323, 354, 354घ, 506, 509 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में अपराध प्रमाणित पाकर उक्त धाराओं में अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया, जिस पर न्यायालय द्वारा बहस प्रसंज्ञान सुनी जाकर उक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया तथा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 323, 354, 354घ, 506, 509 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप सुन व समझकर आरोपों से इनकार किया तथा अन्वीक्षा चाही।

3. तत्पश्चात्, यह प्रकरण विधिवत सुनवाई हेतु श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर के आदेश से न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01, केकड़ी से स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। प्रकरण को इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से निम्न सूची अनुसार गवाहान को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न सूची अनुसार दस्तावेजात को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

–:अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची:–

क. अभियोजन

क्रम संख्या	गवाहों का क्रम	गवाह का नाम
01	पीडब्ल्यू–1	रमेश
02	पीडब्ल्यू–2	हजारी लाल
03	पीडब्ल्यू–3	सुनीता पारीक
04	पीडब्ल्यू–4	प्रेरणा पारीक

authenticated document

ख. बचाव

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम
–	–

–:अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची:–

क. अभियोजन

क्रम संख्या	**प्रदर्श संख्या**	**दस्तावेजों की प्रकृति**
1	प्रदर्श पी–1	नक्शा मौका घटनास्थल
2	प्रदर्श पी–2	तहरीरी रिपोर्ट
3	प्रदर्श पी–3	चाक एफआईआर
4	प्रदर्श पी–4	धारा 164 सीआरपीसी बयान सुनीता पारीक
5	प्रदर्श पी–5	पुलिस बयान सुनीता पारीक
6	प्रदर्श पी–6	धारा 164 सीआरपीसी बयान प्रेरणा पारीक
7	प्रदर्श पी–7	पुलिस बयान प्रेरणा पारीक

ख. बचाव

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श डी संख्या
–	–	–

5. विचारण के दौरान पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 323, 506 भारतीय दण्ड संहिता व बाद अनुमति धारा 509 भारतीय दण्ड संहिता में पेश किया गया। धारा 323, 506, 509 भारतीय दण्ड संहिता राजीनामा योग्य होने से उक्त धारा बाबत राजीनामा स्वीकार कर अभियुक्तगण सुमित व सूरज तिवाड़ी को उक्त धारा 323, 506, 509 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा धारा 354, 354 घ भारतीय दण्ड संहिता बाबत विचारण जारी रखा गया।

6. अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्तगण ने गवाहान के साक्ष्य को गलत

होना तथा झूठा फंसाया जाना जाहिर किया। अभियुक्तगण ने प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश करना नहीं चाहा, जिस पर साक्ष्य प्रतिरक्षा बंद की गई।

7. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस, अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध कर, उचित कारावास के दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया।

8. इसके विपरीत, अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा दौराने बहस, कथन किए गए कि परीक्षित करवाए गए गवाहों के कथनों में परस्पर गंभीर व तात्विक विरोधाभास है। अभियुक्तगण को इस प्रकरण में मिथ्या आधारों पर संलिप्त किया गया है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

9. उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु है:–

(1) क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 30.06.2016 को 06.30 पी.एम. या उसके लगभग वाके मौजा पटेल आदर्श विद्या निकेतन स्कूल के पास केकड़ी, पुलिस थाना केकड़ी पर परिवादिया सुनीता जो अपनी पुत्री प्रेरणा के साथ सब्जी मण्डी जा रही थी, की लज्जा भंग करने के आशय से उन पर आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए व्यक्तिगत अनोन्य क्रिया को आगे बढ़ाने के आशय से उनका पीछा किया?

(2) यदि हां, तो उक्त अपराध की उचित सजा क्या होगी?

10. उपर्युक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य का विवेचन किया गया। अभियोजन द्वारा गवाह के तौर पर पी.डब्ल्यू. 01 रमेश को परीक्षित करवाया गया है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–1 बनाया था, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं जो उसने मौके पर ही किए थे। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **जिरह** में गवाह ने कथन किया कि उसके हस्ताक्षर मौके पर ही करवाये थे। मौके पर थाने से बालूराम, गाड़ी वाहन चालक व अन्य साथी थे, जो गए थे। घटना पर दिनांक 01.07.2016 को गए थे, लगभग साढे चार के आसपास गये थे। घटनास्थल भीड़ भाड़ व व्यस्त जगह है। पुलिस वाले जब मौका बनाने गए तब वहां ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, सात आठ आदमी थे। घटनास्थल पर सात आठ आदमी इकट्ठा हुए जो उसी कॉलोनी के थे। यह उसकी जानकारी में नहीं है कि कॉलोनी वालों के मौके पर ही हस्ताक्षर करवाये या नहीं। उसको पुलिस वालों ने बुलाया था, मौके की जानकारी ली थी। वह मौके पर पुलिस वालों के साथ गया था

authenticated document

अजखुद कहा नक्शा मौका की कार्यवाही में अपनी सर्विस ड्यूटी की कार्यवाही पर वापस आ गया था। गवाह ने यह सुझाव गलत बताया कि उसने प्रदर्श पी–1 पर खाली कागजों पर हस्ताक्षर किए हो।

11. इसी क्रम में गवाह पी.डब्ल्यू. 02 के रूप में हजारी लाल परीक्षित हुआ है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 20.06.2016 को वह थाना केकड़ी पर एएसआई के पद पर कार्यरत था, उस दिन मुकदमा संख्या 416/2016 की पत्रावली एएसआई को वास्ते अग्रिम अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई थी। मुकदमे में इससे पूर्व बालूराम एसआई द्वारा पूर्व में अनुसंधान के दौरान आरोपी सुमित व सूरज तिवाड़ी को अनुसंधान हेतु धारा 41(क) सीआरपीसी का नोटिस देकर उपस्थित होने का दिया था। उसी दौरान बालूराम एसआई स्थानांतरण होने से अब तक अनुसंधान नहीं किया जा सका। एएसआई द्वारा पूर्व के नोटिस की पालना में आरोपी को तलब किया, आरोपी से पूछताछ कर पूछताछ नोट प्रत्यक्ष बनाया, आरोपी द्वारा प्रकरण हाजा में प्रत्यक्ष बनाया। आरोपी द्वारा प्रकरण हाजा में अनुसंधान में सहयोग करने पर चैक लिस्ट मुर्तिब की जो प्रदर्श पी–2 सूरज तिवाड़ी है। प्रदर्श पी–3 अमित साहू है, दोनों पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं, सी से डी मुलजिमान के हस्ताक्षर हैं। पत्रावली पर उपलबध साक्ष्य एवं सबूत से आरोपी सुमित एवं सूरज तिवाड़ी के विरूद्ध अपराध धारा 509, 354, 506, 34 आईपीसी व 323 आईपीसी पर प्रमाणित पाये जाने पर एसएचओ को अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली सुपुर्द की, जिन्होंने उक्त मुलजिमानगण के विरूद्ध उक्त धारा में आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया। आरोप पत्र एसएचओ के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर पर हस्ताक्षर है, जो ए से बी उनके अधीन रहने से हस्ताक्षर पहचानता है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **जिरह** में गवाह ने कथन किया कि पत्रावली उसके पास आने पर अनुसंधान शेष नहीं था।

12. इसी क्रम में गवाह पी.डब्ल्यू. 03 के रूप में सुनीता पारीक परीक्षित हुई है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि आज से करीब दस साल पहले की बात है। वह और उसकी बेटी प्रेरणा सब्जी खरीदने मंडी जा रहे थे, जैसे ही वे पटेल आदर्श निकेतन के पास पहुंचे तो पीछे से एक मोटरसाइकिल जिस पर तीन जने बैठे थे, उन्होंने उनके आगे मोटरसाइकिल लगा दी और उनके साथ गाली गलौज की, इतने में वहां पब्लिक एकत्रित हो गयी जिन्हें देखकर ये भाग गये। उसके द्वारा इस घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 दर्ज करायी थी, जिस पर ए से बी उसके व सी से डी उसके पति के साइन है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी–3 है जिस पर भी ए से बी उसके साइन है। घटना के अगले दिन पुलिस वाले ने मौके पर

authenticated document

आकर घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी–1 बनाया था जिस पर सी से डी उसके साइन है। उसके मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान हुये थे जो प्रदर्श पी–4 है। सुमित और सूरज ने उनके साथ गाली गलौज की थी कोई मारपीट या लज्जा भंग नही की। अभियोजन के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया कि यह कहना सही है कि मुलजिम सुमित और सूरज उनके पड़ौसी है। पुलिस बयान प्रदर्श पी–5 के ए से बी भाग में छेड़छाड़ करने और जान से मारने वाली बात उसने आवेशवश लिखवा दी थी। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **जिरह** में गवाह ने कथन किया कि यह कहना सही है कि उसके व उसकी बच्ची के साथ मुलजिमान के द्वारा कोई छेड़छाड़ या लज्जा भंग का अपराध नहीं किया गया था और ना ही जान से मारने की धमकी दी थी, उनके द्वारा रास्ता रोककर गाली गलौच की गई थी।

13. इसी क्रम में गवाह पी.डब्ल्यू. 04 के रूप में प्रेरणा पारीक परीक्षित हुई है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि आज से करीब दस साल पहले की बात है। वह और उसकी मम्मी सब्जी खरीदने मंडी जा रहे थे, जैसे ही वे पटेल आदर्श निकेतन के पास पहुंचे तो पीछे से एक मोटरसाइकिल जिस पर तीन जने बैठे थे, उन्होंने उनके आगे मोटरसाइकिल लगा दी और उनके साथ गाली गलौज की, इतने में वहां पब्लिक एकत्रित हो गयी जिन्हें देखकर ये भाग गये। उसकी मम्मी द्वारा इस घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 दर्ज करायी थी। उसके मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान हुये थे जो प्रदर्श पी–6 है। सुमित और सूरज ने उनके साथ गाली गलौज की थी कोई मारपीट या लज्जा भंग नही की। अभियोजन के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई **जिरह** में गवाह ने कथन किया कि यह कहना सही है कि मुलजिम सुमित और सूरज उनके पड़ौसी है। पुलिस बयान प्रदर्श पी–7 के ए से बी भाग में छेड़छाड़ करने और जान से मारने वाली बात उसने आवेशवश लिखवा दी थी। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **जिरह** में गवाह ने कथन किया कि यह कहना सही है कि उसके व उसकी मम्मी के साथ मुलजिमान के द्वारा कोई छेड़छाड़ या लज्जा भंग का अपराध नहीं किया गया था और ना ही जान से मारने की धमकी दी थी, उनके द्वारा रास्ता रोककर गाली गलौच की गई थी।

14. उपर्युक्त समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि परिवादिया सुनीता पारीक पी.डब्ल्यू. 03 द्वारा अपने मुख्य परीक्षण के दौरान तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 दर्ज करवाने तथा उसके बयान अंतर्गत धारा 164 सीआरपीसी प्रदर्श पी–4 न्यायालय के समक्ष देने की पुष्टि की गई है, परंतु गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्तगण द्वारा उनके साथ कोई मारपीट या

authenticated document

लज्जा भंग करना नहीं बताया है और जिरह में भी इसी बात की ताईद की है। गवाह ने पक्षद्रोही होने पर अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह में यह भी कथन किया है कि उसके साथ छेड़छाड़ और जाने से मारने वाली बात उसने आवेशवश लिखवा दी थी किसी ने भी उसके साथ छेड़छाड़ या लज्जा भंग नहीं की थी और ना ही जान से मारने की धमकी दी थी। गवाह द्वारा अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी–5 के संबंध में भी गवाह ने उक्त तथ्य आवेशवश लिखवाना बताया है तथा अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह के दौरान गवाह ने इस सुझाव को सही बताया है कि उसके व उसकी बच्ची के साथ मुलजिमान द्वारा कोई छेड़छाड़ या लज्जा भंग का अपराध नहीं किया गया और ना ही जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस प्रकार उक्त गवाह के बयानों से यह प्रकट होता है कि गवाह द्वारा अभियुक्तगण पर लगाए गए धारा 354 व 354 घ भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से संबंधित तथ्यों से स्पष्ट रूप से इनकार किया गया है।

15. पी.डब्ल्यू. 04 प्रेरणा पारीक जो कि परिवादिया की पुत्री है तथा प्रकरण में आहत भी है, ने भी पुलिस बयान प्रदर्श पी–7 में अंकित तथ्यों को आवेशवश लिखवाना जाहिर किया है। गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्तगण द्वारा उनके साथ कोई मारपीट या लज्जा भंग करना नहीं बताया है और पक्षद्रोही होने के पश्चात अभियोजन एवं अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह में भी इसी बात की ताईद की है कि अभियुक्तगण द्वारा उनके साथ कोई छेड़छाड़ या लज्जा भंग का अपराध नहीं किया गया था और ना ही जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस प्रकार उक्त गवाह के बयानों से यह प्रकट होता है कि गवाह द्वारा अभियुक्तगण पर लगाए गए धारा 354 व 354 घ भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से संबंधित तथ्यों से स्पष्ट रूप से इनकार किया गया है।

16. इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू. 1 रमेश जो कि प्रदर्श पी–1 घटनास्थल नक्शा मौका का साक्षी है, ने प्रदर्श पी–1 के संबंध में औपचारिक साक्ष्य दी है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह के दौरान गवाह ने यह कथन किया है कि वह घटनास्थल पर दिनांक 01.07.2016 को गया था। गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्तगण के इस सुझाव को गलत बताया कि उसने प्रदर्श पी–1 पर खाली कागजों पर हस्ताक्षर किए हों। इसके अतिरिक्त प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी हजारी लाल पी.डब्ल्यू. 02 ने मुख्य परीक्षण में प्रकरण के संबंध में औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य दी है तथा अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई जिरह में गवाह ने पत्रावली उसके पास आने से पहले अनुसंधान पूर्ण हो जाना बताया है।

17. उक्त समस्त गवाह के बयानों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण के महत्वपूर्ण गवाह पी.ड. 3 परिवादिया सुनीता पारीक

तथा पी.ड. 4 प्रेरणा पारीक ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अभियुक्तगण ने उसके व उसकी पुत्री के साथ कोई छेड़छाड़ या लज्जा भंग का अपराध नहीं किया और ना ही जान से मारने की धमकी दी। ऐसी स्थिति में जहां प्रकरण के समस्त महत्वपूर्ण गवाह अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं कर रहे हैं तथा धारा 354 व 354 घ भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के संबंध में अभियोजन की कहानी की लेशमात्र भी ताईद नहीं की है, वहां अभियुक्तगण को धारा 354 व 354 घ सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

18. अतः अभियुक्तगण 1. सुमित साहू पुत्र धनराज, निवासी सापण्दा रोड़, केकड़ी, पुलिस थाना केकड़ी, जिला अजमेर, 2. सूरज तिवाड़ी पुत्र ओमप्रकाश, उम्र 21 साल, निवासी चौकड़ीवाल की गली, मूनलाईट स्टूडियो के पास केकड़ी, पुलिस थाना केकड़ी, जिला अजमेर को धारा 354 व 354 घ सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

19. अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 323, 506, 509 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. के आरोप से जरिये राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

20. अभियुक्तगण के नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण को द्वारा धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत 10,000/– रुपये के जमानत मुचलके पेश करने के आदेश दिये जाते हैं।

(मोहम्मद शारिक)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, केकड़ी

21. निर्णय व आदेश आज दिनांक 18.08.2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर विवृत्त न्यायालय में मुद्रांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

(मोहम्मद शारिक)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, केकड़ी

GULSHAN BAGORIA
Steno Gr.III
"Authenticated Document"
Digitally signed by GULSHAN BAGORIA
Date: 2026.08.18 17:03:54 +0000
authenticated document